



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक**

**साधिकार प्रकाशित**

**RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary**

**Published by Authority**

ज्येष्ठ 06, बुधवार, ११११ 1948- मई 27, 2026  
Jyaistha 06, Wednesday, Saka 1948- May 27, 2026

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**खान एवं पेट्रोलियम (ग्रुप-1) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, मई 19, 2026**

**जी.एस.आर. 429.-** संख्या एफ.12(47)खान/ग्रुप-1/2016:- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(47)खान/ग्रुप-1/2016 दिनांक 22 मार्च, 2022 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

**राज्यपाल के आदेश से,**

नम्रता वृष्णि,

**विशिष्ट शासन सचिव**

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

**खान एवं पेट्रोलियम (ग्रुप-1) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, मार्च 22, 2022**

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केंद्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 15 की उप-धारा (1क) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास नियम, 2020 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. नियम 2 का संशोधन.-** राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास नियम, 2020, जिन्हे इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के उप-नियम (1) में, विद्यमान खंड (ग) के पश्चात और विद्यमान खंड (घ) से पूर्व, निम्नलिखित नया खंड (ग-ि) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(ग-ii) “मुख्य कार्यकारी अधिकारी” से खान एवं भू-विज्ञान विभाग में कार्यरत अतिरिक्त निदेशक (भू-विज्ञान) में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;”

**3. नियम 4 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 4 के विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(1) न्यास का संचालक मंडल निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

1.	प्रभारी मंत्री, खान एवं पेट्रोलियम विभाग	अध्यक्ष
2.	अति. मुख्य सचिव/प्र.सचिव /सचिव खान एवं पेट्रोलियम	सदस्य
3.	अति. मुख्य सचिव/प्र.सचिव /सचिव, वित्त	सदस्य
4.	अति. मुख्य सचिव/प्र.सचिव /सचिव, पर्यावरण, वन	सदस्य
5.	अति. मुख्य सचिव/प्र.सचिव /सचिव, राजस्व	सदस्य
6.	प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आरएसएमएमएल)	सदस्य
7.	निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान, उदयपुर	सदस्य
8.	उप महानिदेशक (राजस्थान इकाई) जी.एस.आई. (डब्ल्यूआर)	सदस्य
9.	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एमईसीएल	सदस्य
10.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास	सदस्य सचिव

**4. नियम 5 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 5 के विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(1) न्यास की कार्यकारी समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

1.	अति. मुख्य सचिव/प्र.सचिव/सचिव, खान एवं पेट्रोलियम	अध्यक्ष
2.	निदेशक तकनीकी समन्वय, राज्य इकाई राजस्थान, जी.एस.आई. (डब्ल्यूआर)	सदस्य
3.	क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड से नामनिर्देशिती	सदस्य
5.	एचओडी, एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन कोरपोरेशन लिमिटेड	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव/उप-सचिव, खान एवं पेट्रोलियम	सदस्य
7.	निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान, उदयपुर	सदस्य
8.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास	सदस्य सचिव

राज्यपाल के आदेश से  
नीतू बारूपाल,  
शासन उप सचिव।